न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रंका।

विविध वाद संख्या–04/2013

जोखू बैठा वैगरह वनाम रामदेव कोरवा वैगरह

आदेश

S. No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date
	27.12.22	अभिलेख उपस्थापित। इस वाद की कार्यवाई पूर्व में धारा 144 द0प्र0स0 के अर्न्तगत प्रारंभ होकर दिनांक 25.03.2013 को धारा 145 द0प्र0स0 के अर्न्तगत चल रही है। वाद की कार्यवाई में उभय पक्ष के द्वारा अपना–अपना जवाब दाखिल किया गया है साथ ही गवाही भी न्यायालय में प्रस्तुत किया किया है। वाद की कार्यवाई निम्न भूमि पर चल रही है।	

ग्राम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	उ0	द0	पु0	प0
सलवाही	08	16/1	0.82ए0	सीवाना मौजा रनपुरा	बसु कोरवा वै0	वन सीमा	बसुकोरवा वै0

प्रथम पक्ष कथन है कि प्रश्नगत भूमि ग्राम सलवाही में स्थित है जिसका खाता 8 प्लॉट 16/1 रकबा 0.82ए0 चौहदी उ0 सीवाना मौजा रनपुरा द0 बासु कोरवा वैगरह पु0 वन सीमा प0 बासु कोरवा वै0 है। प्रश्नगत भूमि के उ0 में ग्राम रनपुरा है। सीवाना पर ग्राम रनपुरा में प्रथम पक्ष की अन्य भूमि स्थित है। वाद में वर्णित भूमि प्रथम पक्ष के पिता मुंगाड़ी बैठा पिता बाउल बैठा को बन्दोवस्ती वाद सं0 20/1995–1996 के द्वारा प्राप्त हुआ था अंचल के द्वारा स्थल जॉच के बाद बन्दोवस्ती हुई। मुंगाड़ी बैठा द्वारा खुटा काटकर जमीन को खेती लायक कियारी बनाया गया। जीवन पर्यंत मुंगाड़ी बैठा इस भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जे में रहे एवं खेति करते रहे। इस भूमि का दाखिल खारीज मुंगाड़ी बैठा के नामें होकर शुद्धि पत्र निर्गत हुआ तथा मांग पंजी रजिस्टर ॥ में मांग दर्ज हुआ। मालगुजारी अदा कर रसीद प्राप्त करते आ रहे। भूमि पर दखल कब्जा में प्रथम पक्ष जो मुंगाड़ी बैठा के पुत्र है वर्तमान तक दखल में है। प्रस्तुत गवाह द्वि0प0क्र0 4 कजरू कोरवा ने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि वकिल साहेब खाता प्लॉट के बारे में बताए है। स्पष्ट है कि गवाह को जमीन का विवरण भी नहीं पता है। द्वि0पक्ष के गवाह सं0 1. ब्रहम्देव सिंह ने स्पष्ट किया है कि बालदेव कोरवा के कहने पर गवाही देने आया हूँ। जमीन का रकबा 0.80ए0 गलत बताया है। गवाह न यह भी कहा है कि पर्चा बनवाने का प्रयास किया था लेकिन पर्चा नहीं मिला। इसने खाता 8 जो गैरमजरूआ खाता है को अपना रैयती खाता बताया है। द्वि0प0 के गवाह सं0 2 छोटन कोरवा ने गवाही में प्रतिपरीक्षण में बताया है कि जमीन का विवरण बालदेव कोरवा बताए है। द्वितीय पक्ष गवाह सं0 3 रामें कोरवा ने प्रतिपरीक्षण में अपना घर वाद भूमि से 3 कि0मी0 की दूरी पर बताया है। इसने बताया है मेरी उम्र 70वर्ष है। मैं 3 कि0मी0 रोज 70 वर्ष से जाता हूँ। जो संभव नहीं है। प्रथम पक्ष का न्यायालय से निवेदन है कि वाद में | |

वर्णित भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल कब्जा है। जो गवाही से स्पष्ट है। इसलिए प्रथम पक्ष का दखल कब्जा धारा 145द0प्र0स0 के अर्न्तगत घोषित किया जाय।

द्वितीयपक्ष का कथन है कि यह वाद प्रथम पक्षकार जोखू बैठा तथा शंकर बैठा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया जो 144द0प्र0स0 के अर्न्तगत प्रारंभ हुआ बाद में 145द0प्र0स0 के अर्न्तगत परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान वाद ग्राम सलवाही खाता सं0 8 प्लॉट 16 रकबा 0.82ए0 से संबंधित है जिसका चौहदी उ0 सीवाना मौजा रनपुरा द0 वासु कोरवा वै0 पु0 जंगल प0 बासुकोरवा वैगरह है। इस वाद विषय वस्तु द्वितीय पक्षकारगणों के हक, दखल कब्जे में पूर्वज धाना कोरवा के समय से ही चला आ रहा है। द्वितीय पक्षकार गणों को उक्त जमीन पर ओकुपेंसी रैयती हक प्राप्त है। खाता 8 प्लॉट 16 ग्राम सलवाही गैरमजरूआ खाते की जमीन है। धाना कोरवा आकुपेंसी रैयत के हक के अनुसार ग्राम के खाता 8 प्लॉट सं0 16 रकबा 0.82ए0 जमीन का जोत कोड़ कर तथा जंगल झाड़ी साफ कर 1970 में खेती के लायक बनाया तथा उस पर खेती करने लगे 12 साल लगातार खेती करते रहने पर उक्त जमीन के लिए धाना कोरवा ओकुपेंसी रैयत हो गये। धाना कोरवा अंचल में जाकर मालनिर्धारण हेतु प्रयास करते रहे परंतु माल निर्धारण नहीं हुआ व उनकी मृत्यु हो गई। प्रथम पक्ष को वाद में वर्णित भूमि से कोई सारोकार कभी नहीं रहा है। प्रथम पक्ष सरकारी अमलाओं को अपने पक्ष में लाकर गलत कागज बनवा लिए है। द्वितीय पक्ष के द्वारा न्यायालय से प्रार्थना की गई है। कि खाता 8 प्लॉट 16 रकबा 0.82ए0 पर द्वितीय पक्षकारगण का कब्जा घोषित करने की कृपा किया जाय।

वाद में उभय पक्ष द्वारा दाखिल जवाब, प्रस्तुत गवाह की गवाही प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल भूमि बन्दोवस्ती पर्चा, मालगुजारी रसीद गवाहों के प्रतिपरीक्षण पर गौर करने के उपरांत न्यायालय पाती है कि वाद में भूमि जो ग्राम सलवाही के खाता सं0 8 प्लॉट सं0 16/1 रकबा 0.82ए0 भूमि है। प्रथम पक्ष के पिता मुंगाडी बैठा को अंचल कार्यालय द्वारा बन्दोवस्त वाद सं0 20/1995–1996 द्वारा बन्दोवस्ती से प्राप्त है। जिसका दाखिल खारीज होकर रसीद निर्गत होते रहा है। प्रस्तुत गवाह एवं प्रतिपरीक्षण से भी स्पष्ट होता है कि वाद भूमि पर प्रथम पक्ष जोखू बैठा, शंकर बैठा का दखल कब्जा अपने पिता स्व0 मुंगाडी बैठा के समय चला आ रहा है। अतः वाद में वर्णित भूमि पर प्रथम पक्ष के दावे को सही पाते हुए वाद भूमि पर धारा 145 द0प्र0स0 के अर्न्गत प्रथम पक्ष का दखल कब्जा घोषित किया जाता है। इसी के साथ इस वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

Digitally signed by RUDRA PRATAP
Date: 2023.11.27 13:44:15 +05:30
Location: 192.168.223.152

27.11.23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
रंका।